मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के शिवपुरी एवं ग्वालियर जिला रोजगार कार्यालयों में भारत सरकार की नेशनल केरियर सर्विस परियोजना के अंतर्गत मॉडल केरियर सेन्टर की स्थापना की जानी है। इस योजना अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष 2015-16 के लिये राशि रुपये 46,61,800 प्राप्त हुये है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 46,61,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2045

मद क्रमांक 1

ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण के लिये स्वीकृत राशि रुपये 23000.00 लाख के स्थान पर रुपये 49019.75 लाख का अंतरण किया जाना है। अतएव रुपये 26019.75 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,19,75,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अंतर्गत अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक अंतर्गत राशि रुपये 20470.34 लाख की आवश्यकता है। इसमे से रुपये 121.63 करोड़ अन्य मांग संख्या से समर्पित कर उपलब्ध कराई जा रही है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,04,70,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005 के अधीन जमा की गई राशि में से खनिज क्षेत्र विकास निधि में अन्तरलेखा अंतरण अंतर्गत राशि रुपये 3500.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,52,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

विधानसभा सचिवालय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये राशि रुपये 1.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान मकान किराया मद खुला न होने के कारण राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त राशि रुपये 800.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु कलेक्टर डिण्डोरी द्वारा की गई राशि की मांग के अनुसार अवमानना प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संबंधित पक्ष को भुगतान हेतु राशि रुपये 2.835 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,83,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1-3

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण योजना अतंर्गत वर्ष 2015-16 में पात्रता के अनुसार कुल रुपये 32590.00 लाख अतिरिक्त राशि दी जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।